

APPENDIX A

Schedule of fees for testing and re-testing sample in the laboratories of the Central Board of Excise & Customs.

SCHEDULE-I. FEE Rs. 50/- PER SAMPLE

1. Dangerous Petroleum for Certificate G. The Petroleum Rules, 1937.

SCHEDULE-II. FEE Rs. 50/- PER SAMPLE

1. Asphalt.
2. Chemicals drugs other than prohibited drugs; tests for B.P. Standards etc. (qualitative).
3. Cocaine.
4. Denatured Spirit (qualitative) per sample.
5. Dyes (qualitative).
6. Gauging.
7. Gold and Silver articles (qualitative).
8. Greases (for pour points).
9. Jute, hemp and other vegetable fibres (identification).
10. Metals (qualitative).
11. Miscellaneous (qualitative).
12. Opium (qualitative).
13. Press cake or baggasse (Sugar percent).
14. Paper (Fibre count).
15. Potable spirits for obscuration.
16. Sackings and Hessians.
17. Spent dye (for salt content).
18. Spirituous preparations (alcoholic strength) (a) essences, (b) Medical preparations, (c) toilet preparations and (d) Wines, cordials.
19. Starch, flour, rice and other cereals, identification of.
20. Textiles and yarns (qualitative).

SCHEDULE-III. FEE Rs. 150/- PER SAMPLE

1. Chemicals; drugs other than prohibited drugs tests for B.P. Standards etc. (quantitative).
2. Condensed steam and sugar factory effluents.
3. Dangerous petroleum in mixtures and toilet preparations.
4. Denaturants.
5. Denatured Spirits (quantitative).
6. Distillary sample.
7. Dye (quantitative).
8. Explosives.
9. Fermented liquors (bear, tari etc.) determination of original gravity, physical constants etc.
10. Gold and Silver articles (quantitative).
11. Greases (complete analysis) and petroleum jelly.
12. Gums, glus, gelatine, resins natural and synthetic and related substances.
13. Gur and gur drainings.

14. Hemp drugs.
15. Instruments standardisation of.
16. Licit and illicit spirits.
17. Massacnite.
18. Matches and fire works.
19. Medicinal preparations (Medicated wines complete analysis).
20. Metals, determination of one or two constituents.
21. Methylated liniments and tinctures.
22. Milk and milk powders (quantitative).
23. Molasses.
24. Motor Spirits.
25. Oils (lubricating and batching, Linseed and other paint oils other vegetable oils).
26. Oils, Minerals, e.g., petrol, kerosene, diesel etc., including those tested to ascertain if they are suitable for use as an illuminant in wick lamp.
27. Oils other than specified under essential oils and oil and fats, waxes, fatty acids, steaming, Tallow etc.
28. Opium, estimation of morphine.
29. Ores (qualitative).
30. Paints, varnishes and lacquers.
31. Paper (volumetric).
32. Perfumed spirit—analysed to determine if perfumed spirit.
33. Pigments.
34. Pitch and Tar.
35. Power alcohol, denatured or undenatured.
36. Rectified spirit, denatured or undenatured.
37. Restricted and prohibited drugs, detection as such estimation of in medicines etc.
38. Salt in country soaps.
39. Soaps (general and quantitative).
40. Sugar candy and candy syrups.
41. Sugar confectionery products.
42. Sugar of all kinds not otherwise specified.
43. Syrup (complete chemical analysis).
44. Tea.
45. Textiles and yarns (quantitative).
46. Toilet preparations.
47. Turpentine and turpentine substitute.
48. Water analysis.
49. Samples, not otherwise specified, involving determination of not more than two constituents or which involve a qualitative analysis and determination of one constituent or constant.

परिशिष्ट—क

उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की प्रयोगशालाओं में परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण के लिए फीस की सारणी ।

फीस प्रति नमूना रु० 50/-

1. अनिष्टकर पेट्रोलियम के लिए प्रमाणपत्र "जी"
पेट्रोलियम नियम, 1937.

2. रु० 60/- प्रति नमूना फीस- 60/- रु०

1. असफॉल्ट
2. निषिद्ध औषधियों के अतिरिक्त रासायनिक औषधियों का फा० मानक इत्यादि के लिए परीक्षण (गुणात्मक)
3. कोफिन
4. अति नमूना विकृत स्पिरिट (गुणात्मक)
5. रंजक (गुणात्मक)
6. बैचिंग
7. स्वर्ण तथा रजत वस्तुएं (गुणात्मक)
8. ग्रीज (पोर प्लग के लिए)
9. जूट, सन तथा अन्य वनस्पति रेशे
10. धातुओं (गुणात्मक)
11. कोर्ण (गुणात्मक)
12. अफोम (गुणात्मक)
13. प्रैस के अथवा बागास (शर्करा प्रतिशत)
14. कागज (वाइश काउंट)
15. अल्प दृश्यता के लिए पेय स्पिरिट
16. टार्टर तथा हैसियन
17. स्प्रेट रंजक (सवर्णांश वेतु)
18. स्पिरिट निमित्तियां (अलकोहलिक सान्द्रता)
(क) सार,
(ख) औषधीय निमित्तियां,
(ग) श्रृंगार प्रसाधन निमित्तियां, तथा
(घ) सूरा, कोडिब्लस
19. स्टार्च, आटा, चावल तथा अन्य खाद्यपदार्थों की शिनाछा ।
20. वस्त्र तथा यार्न (गुणात्मक) ।

परिणाम—फीस रुपये 150/- प्रति नमूना

1. रसायन, निषिद्ध औषधियों से अन्यथा औषधियों का फा० के मानकों के लिए परीक्षण इत्यादि (परिमाणात्मक)
2. संघनित गांध तथा चीनी कारखानों के निस्सारी एम्प्लुएन्ट्स
3. प्रसाधन निमित्तियां तथा मिश्रणों में अनिष्टकर पेट्रोलियम
4. विकृत स्पिरिट (परिमाणात्मक)
5. विकृतिकारक ।
6. नमूना ।
7. रंजक (परिमाणात्मक)
8. विस्फोटक
9. किण्वित मद्य (बीयर, ताड़ी इत्यादि) मूल गुणत्व, वास्तविक स्थिरांकों इत्यादि का अवधारण ।
10. स्वर्ण तथा रजत वस्तुएं (परिमाणात्मक)
11. ग्रीज (सम्पूर्ण विश्लेषण) तथा पेट्रोलियम जेली ।
12. मोद, सरसों, जिलेटिन रेजिन प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट तथा संबन्धित पदार्थ ।
13. गुड़ तथा गुड़ निधार ।

14. प्राग औषधियां
15. औजारों का मानकीकरण ।
16. बँध तथा अर्बध स्पिरिट ।
17. मैस्पेन्युबुट
18. दियासलाइयां तथा आतिशबाजियां ।
19. औषधीय निमित्तियां (औषधिकृत मदिराओं सम्पूर्ण विश्लेषण) ।
20. धातुएं, एक अथवा दो संघटकों का अवधारण ।
21. मैथिलेटेड लिनीमैन्ट्स और टिक्चर ।
22. दूध और दूध पाउडर (परिमाणात्मक) ।
23. शीरा ।
24. मोटर स्पिरिट ।
25. तैल (सुनिश्चिंत और बैचिंग, लिसेड तथा अन्य पेट तैल अन्य वनस्पति तैल ।
26. तैल खनिज पदार्थ उदाहरणार्थ, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल इत्यादि सहित जिनका परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि वे बस्ती ज्वालने दीपों में प्रदीपक के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं ।
27. तात्विक तैल के अधीन विनिश्चित तैल से अन्यथा तैल व चर्बी, मोम, चर्बीदार एसिड, स्टीयरिंग, ठैलों इत्यादि ।
28. अफोम, माफिया का आकलन ।
29. कच्चा लोहा ओस (गुणात्मक) ।
30. पेन्ट, वॉनिश, रोगन ।
31. कागज (आयातनी)
32. युवासित स्पिरिट—यह अवधारित करने के लिए विश्लेषित कि क्या यह युवासित स्पिरिट है ।
33. पिगमेंट्स ।
34. डामर, तारकोल ।
35. पावर अलकोहल, विकृत अथवा अविकृत ।
36. परिशोधित रिपरिट विकृत अथवा अविकृत ।
37. औषधियों इत्यादि में प्रतिबन्धित अथवा निषिद्ध औषधियों, का उसी रूप में अनुमानतः पता लगाना ।
38. देशी साबुनों में लवण ।
39. साबुन (सामान्य तथा परिमाणात्मक) ।
40. शुगर कैंडी तथा कैंडी सिरप ।
41. शुगर कन्फेक्शनरी उत्पादन ।
42. सभी प्रकार की चीनी जो अन्यथा विनिश्चित न हो ।
43. सिरप (संपूर्ण रासायनिक विश्लेषण) ।
44. चाय ।
45. वस्त्र तथा यान (परिमाणात्मक) ।
46. श्रृंगार निमित्तियां ।
47. तारपीन तथा तारपीन स्थापान ।
48. जल विश्लेषण ।
49. नमूने, जो अन्यथा विनिश्चित न हों, जिनमें दो से अधिक संघटकों अथवा स्थिरांकों अवधारण अंतर्गत हो अथवा जिसमें एक संघटन अथवा स्थिरांक का अवधारण और गुणात्मक विश्लेषण अंतर्गत हो ।

—फोस रु० 250/- प्रति नमूना ।

1. मक्खन ।
2. सीमेंट, चिकनी मिट्टी, विरंजक मिट्टी, रेत, पाषाण चूर्ण, इनफ्यूजोरिया मिट्टी तथा संबंधित पदार्थ ।
3. तात्विक तेल ।
4. घी ।
5. जहाज के पंखार के प्रयोजनार्थ नींबू तथा गीनू का रस ।
6. खाद । (परिमाणात्मक) ।
7. धातुएँ तथा धातुबीज सम्मिश्रण, तीन्त्र या अधिक संघटकों का अवधारक ।
8. रेतवे के लिए खनिज तैलों ।
9. मोर्स (परिमाणात्मक) ।

10. लवणीय भूमि ।
11. लवण, सिंटा, रिफाइनरी लवण (संपूर्ण परिमाणात्मक विशेषण) ।
12. बोरा । (साल्डपोटर) ।
13. रासायनिक संयोजन के लिए फ्रैंको नामों के अधोन आयातित व्यापारिक तथा स्वत्वाधिकार (Proprietary) उत्पाद ।
14. वनस्पति तैल ।
15. वनस्पति उत्पाद, घी, ब्यादि ।
16. आटा ।
17. नमूने, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, जिनमें दो से अधिक संघटकों अथवा स्थिरांकों का अवधारण अंतर्भूत हो अथवा जिसमें एक संघटक अथवा स्थिरांक का अवधारण और गुणात्मक विशेषण अंतर्भूत हो ।

परिशिष्ट ख

सीमा शुल्क गृह प्रयोगशाला में साह—19—में विश्लेषित नमूने

क्रम सं०	नमूनों का वर्णन	परीक्षित नमूनों की संख्या
1	2	3
1	“वा”—(सीमा शुल्क-विश्लेषणात्मक)	
	1. निम्नलिखित में अलकोहलिक सामग्रियों का अवधारण ।	
	(क) पेय मद्यसार	
	(ख) औषधीय निमित्तियां	
	(ग) सार तथा श्रृंगार निमित्तियां	
	(घ) अन्य निमित्तियां	
	2. एस्पॉल्ट तथा डामर ।	
	3. सीमेंट, चिकनी मिट्टी, विरंजक मिट्टी, रेत, पाषाण चूर्ण, इनफ्यूजोरिया मिट्टी तथा संबंधित पदार्थ ।	
	4. रसायन औषधि निषिद्ध औषधियों के अतिरिक्त, अणुमान मानकों ब्यादि हेतु परीक्षण ।	
	5. अग्निष्टकर पेट्रोलियम, मिश्रणों तथा संयोजनों में परीक्षण के लिए ।	
	6. विकृतिकारक ।	
	7. विकृत स्पिरिट ।	
	(क) गुणात्मक	
	(ख) परिमाणात्मक ।	
	8. शुल्क वापसी ।	
	9. किसी भी रंगने वाली प्रक्रिया में प्रयुक्त रंजक और पदार्थ ।	
	(क) (1) गुणात्मक ।	
	(2) परिमाणात्मक ।	
	(ख) रंजक तथा रंगने की सामग्री जो तारकोल से नहीं निकाली गई है ।	
	10. आवश्यक तेल ।	
	1. विस्फोटक ।	
	2. निर्यात ।	
	3. स्वर्ण, रजत तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुएं ।	
	(क) गुणात्मक ।	
	(ख) परिमाणात्मक ।	
	4. शीज तथा पेट्रोलियम जैसी ।	

SCHEDULE-IV. FEE Rs. 250/- PER SAMPLE

1. Butter.
2. Cement, clays, bleaching earth, sand, stone powers, infusorial earth and related substances.
3. Essential oils.
4. Ghee.
5. Lemon and lime juice for ships provisions etc.
6. Manures (quantitative).
7. Metals and metallic alloys, determination of three or more constituents.
8. Mineral oils for Railways.
9. Ores (quantitative).
10. Saline earths.
11. Salt, Sitta, refinery salt (complete quantitative analysis).
12. Saltpetre.
13. Trade and patent products imported under fancy names for chemical composition.
14. Vegetable oils.
15. Vegetable products, ghee etc.
16. Flours.
17. Samples not otherwise specified, involving determination of more than two constituents or constants or which involve a qualitative analysis and determination of more than one constituent or constant.

APPENDIX B

Samples analysed at the Custom House Laboratory in the
month of 19

S. No.	Description of samples	No. of samples tested
1	2	3

SECTION A--(CUSTOMS--ANALYTICAL)

1. Alcoholic Strengths Determination in
 - (a) Potable Liquors.
 - (b) Medicinal Preparations.
 - (c) Essences and Toilet preparations.
 - (d) Other preparations.
2. Asphalts and Pitches.
3. Cements, Clays, Bleaching Earth, Sand, Stone powder, infusorial Earth and related substances.
4. Chemicals, Drugs other than prohibited Drugs, Tests for B.P. Standards, etc.
 - (a) Qualitative.
 - (b) Quantitative.
5. Dangerous petroleum, examination for in mixtures and compositions.
6. Denaturants.
7. Denatured Spirits.
 - (a) Qualitative.
 - (b) Quantitative.
8. Drawback.
9. Dyes and substances used in any dyeing process.
 - (a) (i) Qualitative.
 - (ii) Quantitative.
 - (b) Dyes and Colouring matters not derived from coal tar.
10. Essential Oils.
11. Explosives.
12. Export.
13. Gold, silver and other precious metals and articles thereof.
 - (a) Qualitative.
 - (b) Quantitative.
14. Greases and petroleum jelly.